

प्रेस नोट

दिनांक 13.01.2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर नक्खीघाट क्रासिंग के पास से 02 अभियुक्तों (1) विशाल उर्फ वतन कुमार पाण्डेय पुत्र गिरजा शंकर पाण्डेय निवासी ग्राम सैरा थाना बड़ागांव जिला वाराणसी व (2) आनंद कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल निवासी जे 24/5 ख्वाजा पूरा बड़ी बाजार शीतला माई मंदिर के पास थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को समय करीब 17.30 बजे पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 490 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0010/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विशाल उर्फ वतन कुमार पाण्डेय (उम्र 28 वर्ष) पुत्र श्री गिरजा शंकर पाण्डेय निवासी ग्राम सैरा थाना बड़ागांव जिला वाराणसी
2. आनंद कुमार जायसवाल (उम्र 20 वर्ष) पुत्र अशोक कुमार जायसवाल निवासी जे 24/5 ख्वाजा पूरा बड़ी बाजार शीतला माई मंदिर के पास थाना जैतपुरा जिला वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- कुल 490 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 धर्मराज सिंह, का0 मिन्टू कुमार व का0 जसवन्त कुमार थाना जैतपुरा वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 14.01.2021 को थाना लोहता के उ0नि0 राजेश सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 05/2021 धारा 323/504/506/304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विक्की पुत्र नरेश प्रसाद निवासी महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष को महुअरिया चन्दापुर मोड़ के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विक्की पुत्र नरेश प्रसाद निवासी महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राजेश सिंह, हे0का0 राजकुमार यादव, का0 गौरव कुमार सिंह व का0 सुनील कुमार थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvnns-up@nic.in](mailto:sspvnns-up@nic.in), Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 69/2021

दिनांक: जनवरी, 14/2021

प्रेस नोट

दिनांक 14.01.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0225/2020 धारा 354(ख)/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र मदन गुप्ता निवासी सी 7/229 चेतगंज थाना चेतगंज वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष को उसके घर से समय करीब 18.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विवेक कुमार पुत्र मदन गुप्ता निवासी सी 7/229 चेतगंज थाना चेतगंज वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ.नि. श्रीप्रकाश सिंह, व0उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह, हे0का0 सुधीर सिंह व का0 पिन्टू पासवान थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

***थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा दो शातिर चोर राहुल गौड़ व हिमांशु गिरी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद तमन्चा-.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस**

बरामद*।

पुलिस उपमहानिरीक्षकवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के / विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान केक्रम में, प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह परशुराम त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.01. को 2021व0उ0नि0 राजेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी के मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में पद्मासिनी चौराहे पर आने वाले हैं, यदि जल्दी क्रिया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर व0उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए पद्मासिनी चौराहे पर पहुँचकर आने जाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करना प्रारम्भ कर दिये कि कुछ ही समय पश्चात दो अलग-अलग मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनको मुखबिर की निशानदेही पर रोककर पकड़ लिया गया, तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 अदद तमन्चा-.315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस-.315 बोर व 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा अपना नाम पता राहुल गौड़ पुत्र स्व0 राकेश गौड़ निवासी डी-32/टी नरिया थाना लंका -ए 84, वाराणसी व दूसरे ने अपना नाम हिमांशु गिरी पुत्र दशरथ गिरी निवासी-3FF कबीर कालोनी बीएचयू थाना लंका, वाराणसी बताया, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि हम दोनों मिलकर उक्त दोनों मोटरसाइकिले शिवाजी व्यायामशाला गेट के पास से एवं कौशलेश नगर नरियां थाना क्षेत्र लंका से चोरी क्रिया है। आज हमलोग बेचने के लिए जा रहे थे कि पकड़े गये। उक्त मोटरसाइकिले थाना लंका में पंजीकृत मु0सं0अ0-735/2020 धारा-भा 3790द0वि0 व मु0अ0सं0-382/धारा 19-भा 3790द0वि0 से संबंधित है। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण*-**

1. राहुल गौड़ पुत्र स्व0 राकेश गौड़ निवासी डी-32/-ए 841 टी नरिया थाना लंका, वाराणसी उम्र-26 वर्ष।
- 2 . हिमांशु गिरी पुत्र दशरथ गिरी निवासी 3FF कबीर कालोनी बीएचयू थाना लंका, वाराणसी उम्र-25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

***अभियुक्त राहुल गौड़*-**

1. मु 735 0सं0अ0/ थाना लंका .वि.द.भा 379 धारा 20, वाराणसी
2. मु894 0सं0अ0/थाना कैन्ट .वि.द.भा 307 धारा 18, वाराणसी
3. मु1054 0सं0अ0/ थाना कैन्ट वाराणसी .वि.द.भा 394 धारा 17
- 4.मु0सं0अ0-09/3 धारा 21/आर्म्स एक्ट थाना मण्डुवाडीह 25, वाराणसी
5. मु0सं0अ0- 010/411 धारा 21/413/वि थाना मण्डुवाडीह.द.भा 420, वाराणसी।

***अभियुक्त हिमांशु गिरी* -**

1. मु0सं0अ0- 382/ थाना लंका .वि.द.भा 379 धारा 19, वाराणसी
2. मु0सं0अ0- 010/411 धारा 21/413/वि.द.भा 420

***बरामदगी का विवरण* -**

1. मोटरसाईकिल बजाज पल्सर संख्या: यूपी-बीएम 65-9153 कूटरचित नम्बर व यूपी-65 बीएम-9953 वास्तविक नम्बर।
2. मोटरसाईकिल पैशन प्रो संख्या: यूपी-बीयू 65-9123
3. 01 अदद तमंचा-बोर 315 व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

1. प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह-परशुराम त्रिपाठी, व0उ0नि0 राजेश कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 अजय दूबे-चौकी प्रभारी मड़ौली, उ0नि0 अमित कुमार कुशवाहा-चौकी प्रभारी लहरतारा, हे0का0 पवन श्रीवास्तव, हे0का0 लवकुमार सिंह, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 71/2021

दिनांक: जनवरी, 14/2021

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 14.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 25 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 265 व्यक्तियों से रु0-7,700/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 521 वाहनों का चालान, 06 वाहनों को सीज तथा 46 वाहनों से रु0-48,200/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 72/2021

दिनांक: जनवरी, 14/2021

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 117 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3447 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 691 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 105 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1405 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 83 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल

